



भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

डॉ बबू लाल मीणा

व्याख्याता.राज.विज्ञान

राजकीय कन्या महाविद्यालय .अजमेर

सार

प्रस्तुत लेख के तहत, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। इस शोध पत्र में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, वर्तमान स्थिति, समस्याओं और महिलाओं के राजनीतिक भविष्य का अध्ययन किया गया है। वर्तमान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी वैसी ही स्थिति नहीं है जैसी बीस साल पहले थी। दुनिया के इतिहास में राजनीति एक दुर्जय कार्य रही है। राजनीति ने लोगों का शोषण किया है, धर्म की रक्षा और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के नाम पर खून बहाया है। इसलिए राजनीति न केवल आम आदमियों की बल्कि उन पुरुषों की भी अखाड़ा रही है जो कठोर और क्रूर व्यवहार करते हैं। राजनीति पुरुषों की शारीरिक शक्ति और इससे उत्पन्न होने वाले अहंकार के साथ सक्रिय रही है। इसलिए, राजनीति में तुलनात्मक रूप से नरम स्वभाव की महिलाओं की भागीदारी पूरी दुनिया में कम रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक अपवाद रही है। स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। सबसे पहले, लैंगिक समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में प्रस्तावित किया गया है। संविधान ने न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा दिया है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया है। जिसकी आज जरूरत भी है। अन्य क्षेत्रों में, महिलाओं को अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हुए एक ऊर्जावान और ठोस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीति के नए आयाम बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को समान रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, भले ही वह पंचायती स्तर पर ही क्यों न हो। गाँव के सरपंच ने कई पंचायत स्तर के चुनावों में महिला उम्मीदवारों को जीता और उन्नति के नए द्वार खोले।

शब्द कुंजी: राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, भारत में महिला मतदाताओं की स्थिति

परिचय

क्या वर्तमान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी वैसी नहीं है जैसी बीस साल पहले थी ? इस सवाल पर अक्सर डेटा का आकलन किया जाता है। बड़े पैमाने पर , महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के प्रतिशत में आजादी के बाद उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। सबसे पहले , लैंगिक समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना , मौलिक अधिकार , मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में प्रस्तावित किया गया है। संविधान ने न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा दिया है , बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया है। जिसकी आज जरूरत भी है। अन्य क्षेत्रों में , महिलाओं को अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हुए एक ऊर्जावान और ठोस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीति के नए आयाम बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को समान रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है , भले ही वह पंचायती स्तर पर ही क्यों न हो। गाँव के सरपंच ने कई पंचायत स्तर के चुनावों में महिला उम्मीदवारों को जीता और उन्नति के नए द्वार खोले। घर की सीमा से लेकर शिक्षा , बैंकिंग , कॉरपोरेट क्षेत्र में उन्होंने अपनी योग्यता को पुरुषों के रूप में साबित किया है और अपने लिए सम्मानजनक स्थान बनाया है। चुनावों में समान भागीदारी की व्यवस्था होनी चाहिए , लेकिन इसके लिए सामाजिक सोच , प्रणालीगत बदलाव , सामाजिक विकास और सबसे अधिक शिक्षित और स्वस्थ वातावरण आवश्यक है। साथ ही उच्च सिद्धांतों को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। जमीनी स्तर पर भी , कुछ पहल करनी होगी जिसमें शिक्षित महिलाएं , भले ही वे ग्रामीण इलाकों की हों , उन्हें आगे आने का मौका मिलता है। ऐसे प्रयास जिसमें स्वस्थ स्तर पर महिलाओं की भागीदारी संभव हो सकेगी। सरकार ने ऐसी कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया है। जिसमें महिलाओं के कल्याण और उनके विकास को भी प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया है। 73 वें और 74 वें संशोधन के तहत महिलाओं को पंचायतों में सीटों और नगर निकायों के स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है। ताकि राजनीति में उनकी भागीदारी को एक मजबूत आधार प्रदान किया जा सके। कई कृत्यों में सुधार और सभी भेदभाव को समाप्त करके समानता को प्रमुखता दी गई है।

उद्देश्य –

1. भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है।
2. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की गई है।
3. भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रभावों का वर्णन किया गया है।

अध्ययन पद्धति एवं आकड़ों का संग्रह –

प्रस्तुत अध्ययन के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन हेतु राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आकड़ों का समावेश किया गया है। प्राथमिक आकड़ों का संग्रह प्रत्यक्ष सर्वेक्षण , साक्षात्कार , अवलोकन , प्रश्नावली एवं अनुसूची आदि के माध्यम से किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों के संकलन डायरी , पत्र पत्रिकाओं , समाचार पत्र एवं विभिन्न वेबसाइट एवं पुस्तकों के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

दुनिया के इतिहास में राजनीति एक दुर्जय कार्य रही है। राजनीति ने लोगों का शोषण किया है, धर्म की रक्षा और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के नाम पर खून बहाया है। इसलिए राजनीति न केवल आम आदमियों की बल्कि उन पुरुषों की भी अखाड़ा रही है जो कठोर और क्रूर व्यवहार करते हैं। राजनीति पुरुषों की शारीरिक शक्ति और इससे उत्पन्न होने वाले अहंकार के साथ सक्रिय रही है। इसलिए, राजनीति में तुलनात्मक रूप से नरम स्वभाव की महिलाओं की भागीदारी पूरी दुनिया में कम रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक अपवाद रही है। लेकिन आधुनिक युग में राजशाही के पतन और लोकतंत्र के विकास के साथ, जब सेना और पुलिस बल के आधार पर राजनीति का संचालन कम होने लगा और जनता की राय को विशेष महत्व मिला, तब आम जनता का भी एक जगह पर वर्चस्व था। समाज के कुछ शक्तिशाली लोग। बढ़ने लगा। धीरे – धीरे आम जनता की भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने लगी। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ, राजनीति की प्रकृति बदल रही है और जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अनूठा अनुभव है। लेकिन यह विचार करने योग्य है कि क्या राजनीतिक अधिकारों पर बैठे पुरुषों का यह समूह दुनिया के राजनीतिक माहौल को तनाव – मुक्त बनाने के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विवेक को अपनाएगा।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका

भारत के इतिहास में आधुनिक काल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से अधिक महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई, मैडम बीकाजी कामा, कस्तूरबा, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी आदि ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाधीनता की राजनीति में नंदिनी सत्पथी, मोहसिना किदवर्ई, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, मायावती, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, रेणुका चौधरी, सोनिया गांधी आदि ने सक्रियता दिखाई। इंदिरा गांधी ने 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद गठित देश के संविधान में, महिलाओं को न केवल पुरुषों के रूप में वोट देने के लिए समान अधिकार दिए गए हैं, बल्कि पंचायत से संसद तक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव भी लड़ना है।

इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था में सभी जनप्रतिनिधि मंचों में कम से कम एक तिहाई सदस्यता के साथ राजनीति में महिला भागीदारी का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कानून द्वारा एक तिहाई सदस्यता के प्रतिनिधित्व के कारण समाज में पुरुषों और महिलाओं के समानता का विचार तेजी से बदल रहा है। महिलाओं में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। खुद के प्रति उनकी छवि में सुधार हुआ है, वे अपनी आँखों में उग आए हैं। समाज में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बल का उपयोग आदि के विरोध में जागरूकता बढ़ी है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। महिला मतदाताओं का सम्मान बढ़ा है, लेकिन विडंबना यह

है कि संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई महिला भागीदारी बढ़ाने का विधेयक 1998 से लंबित है, जो पुरुष – प्रधान समाज के अन्यायपूर्ण फैसले का कड़वा मामला है।

स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति:

भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली केंद्र सरकार (जवाहरलाल नेहरू की सरकार में) के पास 20 कैबिनेट मंत्रालयों में केवल एक महिला (राजकुमारी अमृत कौर) थी, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया था।

एक भी महिला को लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में जगह नहीं दी गई। यहां तक कि इंदिरा गांधी की 5 वीं, 6 वीं, 9 वीं कैबिनेट में एक भी महिला केंद्रीय मंत्री नहीं थी। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में केवल एक महिला (मोहसिना किदवर्झ) को शामिल किया गया था।

मोदी सरकार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। 2014 में, मोदी सरकार में कुल नौ महिला सांसदों को कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाया गया था। 16 वीं लोकसभा में 61 महिला उम्मीदवार जीती हैं। यह अब तक का उच्चतम है। 543 सदस्यीय लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या 2009 में 58 से अधिक है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, "यह देश के इतिहास में लोकसभा में पहुंचने वाली महिलाओं की सबसे अधिक संख्या है। 2009 में, 58 महिलाएं पहुंची। लोकसभा।" प्रमुख महिला उम्मीदवार जो संसद का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब रहीं उनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (रायबरेली), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज (विदिशा), उमा भारती (झाँसी, मेनका गांधी (पीलीभीत), पूनम महाजन (शामिल हैं) मुंबई नॉर्थ सेंट्रल), किरण खेर (चंडीगढ़), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सुप्रिया सुले (बारामती), समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता दिपाल यादव (कन्नौज)। गौरतलब है कि सोनिया, सुषमा, उमा, मेनका, सुप्रिया, डिंपल को पहले संसद जाने का मौका मिला है, जबकि पूनम, किरण के लिए यह पहला कार्यकाल होगा। इस चुनाव में कई प्रमुख महिला उम्मीदवार हार गईं, जिनमें कांग्रेस नेता अंबिका सोनी (अंबाला), कृष्णा तीरथ (उत्तर पश्चिम दिल्ली), गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़), लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार (सासाराम), बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (सरन), उनकी बेटी मीसा भारती (पाटलिपुत्र)। पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक 13 महिला सांसद संसद के निचले सदन में पहुंचने में कामयाब रहीं, जबकि उत्तर प्रदेश की 11 महिलाओं को इस बार संसद जाने का मौका मिला। 2009 में, 58 महिलाएं संसद में पहुंचीं, जबकि 2004 में 45 और 1999 में 49 महिलाएं जीतीं। लोकसभा में सबसे कम महिलाएं 1957 में देखी गईं, जब उनकी संख्या केवल 22 थी।

भारत में महिला मतदाताओं की स्थिति

1980 और 2014 के बीच, महिला मतदाताओं की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि 1980 में महिला मतदाताओं की संख्या 51 प्रतिशत थी, 2014 में यह बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई।

1990 में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी और 2014 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा महिला मतदान हुआ।

लेकिन फिर भी स्थिति को पूरी तरह से बेहतर नहीं माना जा सकता है। महिला मतदाताओं का प्रतिशत प्रतिशत के लिहाज से कमजोर है और साथ ही वोट देने जा रही महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत वोट के मामले में खुद तय नहीं कर पा रहा है। किस पार्टी या किस नेता के पास उनका वोट जाएगा, इसका फैसला घर के पुरुषों द्वारा किया जाता है और वे उसी निर्देशों का पालन करते हुए वोट देने जाते हैं।

दिल्ली के आनंद विहार में रहने वाली 40 वर्षीय प्रियमिदा कहती हैं कि उनके घर के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं और वोट देने से पहले हमें बताया जाता है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, इसलिए वोट देने का फैसला कौन करता है, यह हमारे घर के लोग तय करते हैं।

अगर हम राज्यों के अनुसार महिला मतदाताओं के प्रतिशत के बारे में बात करते हैं, तो 2014 के लोकसभा चुनावों (राज्य की आबादी के अनुपात में) में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे कम था। जबकि, अरुणाचल प्रदेश में स्थित विपरीत देखी गई, जहाँ महिलाओं के लिंगानुपात के मामले में महिला मतदाताओं की संख्या में कमी देखी गई। इस राज्य में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया।

कविता कृष्णन कहती है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना और वोट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार और राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में महिलाओं को केंद्र में रखें।

वह कहती है, "महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही महिलाओं के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है, ताकि उनके अधिकारों को शामिल किया जा सके ताकि महिलाओं को भी मतदान में रुचि हो। उन्हें महसूस करना चाहिए कि उन्हें सरकार बनाने में योगदान भी महत्वपूर्ण है।

सक्रिय राजनीति में महिलाओं की स्थिति

सक्रिय राजनीति में, यह केवल महिलाओं की बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि हमारा समाज भी है, जो राजनीति में महिलाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

अगर प्रियंका गांधी राजनीति में आती है, तो उनकी पोशाक और उनके नैन नक्श पर टिप्पणी की जाती है। प्रियंका के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं कि सुंदर महिला राजनीति में क्या कर पाएगी।

वहीं, शरद यादव की वसुंधरा राजे पर टिप्पणी, आपको याद होगा जब उन्होंने अपने मोटापे पर टिप्पणी की थी कि वसुंधरा राजे मोटी हो गई है, उन्हें आराम की जरूरत है।

इसी तरह, ममता बनर्जी, मायावती, सुषमा स्वराज की उन सभी महिला राजनेताओं को ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। उसकी कोई भी विफलता उसके स्त्री होने के कोण से उजागर होती है, जबकि एक विफलता का सामना एक पुरुष राजनीतिज्ञ को भी करना पड़ता है। राजनीति में महिलाओं के कमजोर होने के बारे में तर्क – महिला उम्मीदवारों के पास जीतने की बहुत कम संभावना है। महिलाएं राजनीति में किसी पुरुष को अपने घरेलू काम में समय नहीं दे पाती हैं। महिलाओं की राजनीतिक समझ कम होती है, इसलिए वे जीतने पर भी महिला विभाग, बच्चों के विभाग जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रहती हैं।

1. जहां तक महिला उम्मीदवारों का संबंध है, पिछले तीन लोकसभा चुनावों में जीतने वाली महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है। 2014 के चुनाव में महिला उम्मीदवार की सफलता दर 9 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों की संख्या 6 प्रतिशत थी।

16 वीं लोकसभा चुनाव जीतने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी। आज भी, कई राजनीतिक दल महिलाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, इसका असर यह है कि बहुत कम महिलाएँ सक्रिय राजनीति में उतर पाती हैं।

बिहार की भाजपा युवा नेता अमृता भूषण का कहना है कि महिलाएं चुनाव नहीं जीतती हैं, यह गलत है। जब आप चुनाव लड़ते हैं, तो पार्टी के बारे में बात होती है, यह एजेंडे के बारे में है और व्यक्तिगत उम्मीदवार की बात है। स्त्री या पुरुष का नहीं।

चुनावों में महिलाओं का जीत प्रतिशत भी पुरुषों की तुलना में अधिक देखा जाता है। मुझे लगता है कि सही जगह पर महिलाओं के नाम रखने के लिए शायद बहुत कम लोग हैं। उनका कहना है कि इस बार महिलाओं को भाजपा में अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है।

2. राजनीति में महिलाओं को कम समय देने के तर्क पर, राजद के विधायक इजाया यादव का कहना है कि एक महिला उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में पुरुष उम्मीदवार की तुलना में कड़ी मेहनत करनी होगी। पुरुष उम्मीदवार को घर के अंदर नहीं ले जाता है। एक महिला उम्मीदवार भी बाहर से मिलती है और लोगों के घर के अंदर महिलाओं से मिलती है।

3. राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिशत के कारण, महिलाएं भी अक्सर मंत्रिमंडलों के विभाजन से अनभिज्ञ हैं। उन्हें आमतौर पर वित्त, गृह, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र आवंटित नहीं किए जाते हैं, इसके बजाय उन्हें महिलाओं, बच्चों, चंगुल जैसे विभागों को सौंप दिया जाता है।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी

पिछले 57 वर्षों में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के परिणामस्वरूप पिछले 57 वर्षों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और महिलाओं में बढ़ती चेतना के परिणामस्वरूप प्रयास किए गए हैं, लेकिन बुनियादी बदलाव संविधान में

संशोधन करने के लिए किए गए थे। 1994 और 73 और 74 पंचायती राज कानून को लागू करने के लिए। जिसमें पंचायत , पंचायत समिति और जिला परिषद में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब हर पंचायत में देश की 2,25,000 पंचायतों में एक तिहाई महिला पंच यानी 725,000 महिला सदस्य और 75,000 महिला सरपंच हैं। हर पंचायत समिति में एक तिहाई (1700) सदस्य महिलाएँ हैं और पंचायत समितियों में एक तिहाई (1700) प्रमुख महिलाएँ हैं। इसी प्रकार , जिला परिषदों में , सदस्यों में से एक – तिहाई (1583) महिलाएँ हैं और जिला प्रमुखों की एक – तिहाई (158) महिलाएँ हैं। उपरोक्त आरक्षण के आधार पर राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। कर्नाटक , पश्चिम बंगाल और केरल में ग्राम पंचायतों में एक तिहाई से अधिक महिलाएं हैं , लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की सदस्यता लगभग ग्यारह प्रतिशत है और महिला सदस्यता बिल का एक तिहाई हिस्सा अभी भी पिछले एक दशक से लंबित है।

भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी

जहां तक भारतीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है , तो स्थिति बहुत निराशाजनक है। संसद में महिलाओं की स्थिति को केवल इंदिरा गांधी के 16 साल तक प्रधान मंत्री रहने के साथ बेहतर नहीं माना जा सकता है। इंदिरा गांधी , भंडारनायके , चंद्रिका कुमारतुंगा , बेनजीर भुट्टो , ख़ालिदा ज़िया आदि जैसी महिलाएँ इन देशों की राजनीति में बढ़ती महिला भागीदारी का परिणाम नहीं थीं , लेकिन वे वंशानुगत संस्कारों के राजतंत्रीय संस्कारों के कारण अपने पूर्वजों की प्रसिद्धि से लाभान्वित हो रही थीं। इन समाजों में शासन। वास्तव में , भारत की संसदीय राजनीति में न केवल महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है , बल्कि कम संख्या वाली महिलाओं ने भी कम सक्रिय भागीदारी दिखाई है। महिलाओं पर पुरुष – वर्चस्व का उदाहरण बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के रूप में देखा जा सकता है , जो महिला है , लेकिन उनके पति लालू प्रसाद यादव की निर्णायकता में राजनीतिक भागीदारी सीमित रही है। इस प्रकार , वर्तमान भारतीय राजनीतिक पृष्ठभूमि में संसद और विधानसभाओं में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए , 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों के आरक्षण का विकल्प चुना गया है , जो भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी मोड़ है , जिसके स्पष्ट परिणाम होंगे दशक या दो।

महिला भागीदारी में पुरुषों का हस्तक्षेप

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जन प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या से प्रभावित हुई है। फिर भी महिलाओं की अपने स्तर पर सोचने और निर्णय लेने की प्रवृत्ति कम विकसित है जो हमारी चुनौती है। यद्यपि महिला पंच – सरपंचों आदि का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। न तो ये महिलाएँ पति , पिता , भाई या महिलाओं के अन्य पुरुषों के प्रभाव में काम कर रही हैं। लेकिन यह प्रारंभिक चरण है। यदि महिलाएं राजनीति की प्रक्रिया को धीरे – धीरे समझती हैं , तो वे अपने विवेक से निर्णय लेना शुरू कर देंगी। इसके लिए , महिला और महिला प्रतिनिधियों को स्वयं जागरूक होने और उन्हें दूसरों द्वारा जागरूक करने की आवश्यकता है , दूसरी ओर , महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पुरुषों की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है , तो धीरे – धीरे संख्यात्मक और महिला भागीदारी के गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। राजनीति में महिला भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है।

भारतीय राजनीति महिलाओं का स्वागत क्यों नहीं करती है ?

आधुनिक भारतीय राजनीति में ऐसी कई महिलाएँ रही हैं , जिनकी ऐतिहासिक भूमिका हमें अच्छी तरह मालूम है। स्वतंत्र भारत में सरकार चलाने से लेकर स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान महिलाओं की राजनीतिक भूमिका और पहल महत्वपूर्ण रही है। इसके बावजूद , जब राजनीति में महिला भागीदारी की बात आती है , तो आंकड़े बहुत निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। हम प्रत्यक्ष (सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी) और अप्रत्यक्ष (मतदाताओं के रूप में भागीदारी) दोनों स्तरों पर भारी गैर – समता का सामना करते हैं। हालाँकि , अगर हम महिला मतदाताओं की बात करें , तो स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर हो गई है। 1980 और 2014 के बीच , महिला मतदाताओं की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर हम विश्व स्तर पर भारत की सक्रिय राजनीति में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करते हैं , तो 193 देशों में भारत 141 वें स्थान पर है। संसद में विश्व स्तर पर 22.6 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है।

महिलाओं की भागीदारी से राजनीति का भविष्य

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के कारण राजनीति की प्रकृति में क्या बदलाव होने की उम्मीद है। राजनीति हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर फैसले लेती है – राजनीति , अर्थव्यवस्था , शिक्षा , स्वास्थ्य , आंतरिक और बाहरी सुरक्षा आदि , इसलिए यदि हमारे समाज की आधी आबादी – महिलाएं उन फैसलों में शामिल नहीं हैं तो यह हित में नहीं है महिलाओं का विकास , न तो इन राजनीतिक सभा संगठनों के हित में है और न ही पूरे समाज के हित में है , तो महिलाओं में जो स्नेह और रचनात्मकता निहित है , वह अहिंसा है और शारीरिक बल के अहंकार से मुक्ति है , यह अधिक स्वच्छ है , संपूर्ण राजनीति के व्यवहार से शांत , विल इसे संतुलित और रचनात्मक बना देगा। आज महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से राजनीति , मनमानी और अतिवाद में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। पंचायतों से हमारे संसदों की बैठकों में हिंसा कम होगी , नागरिकता और प्रतिष्ठा बढ़ेगी , और सामाजिक बुराइयों और दुष्कर्मों में कमी आएगी। इसके अलावा समाज में , शिशुओं , लड़कियों और युवा महिलाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उनकी शिक्षा , स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार होगा , महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को व्यावहारिक और मजबूत बनाया जाएगा। इन पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों में अधिक समानता और संतुलन होगा। सुनिश्चित करें कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विकास का एक नया चरण शुरू किया है और परिणाम बेहतर होंगे , लेकिन यह तभी संभव होगा जब पुरुष वर्ग व्यापक सामाजिक – राजनीतिक हित में महिला भागीदारी पर गंभीर हो और दूसरी ओर और देश की महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों की समानता के लिए कड़ा संघर्ष करना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि सरकार और समाज ने भी काफी हद तक महिलाओं की राजनीति में समान भागीदारी की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और वे यह भी साबित कर रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण ने राजनीति को एक नई ऊँचाई प्रदान की है। राजनीति के नए आयाम बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को समान रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, भले ही वह पंचायती स्तर पर ही क्यों न हो। गाँव के सरपंच ने कई पंचायत स्तर के चुनावों में महिला उम्मीदवारों को जीता और उन्नति के नए द्वार खोले।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. त्मलदवसके, दक्षतमू (1999). वउमद पद जीम स्महपेसंजनतमे दक ममिबजपअमे वजीम वतसक ज्ञदवबापदह ज जीम भ्यहीमेज ल्सें ब्मपसपदह—“वतसक च्वसपजपबे, टवस. 51 , च्च. 547 – 72 , 75 .
2. शर्मा, प्रज्ञा (2011). “ वुमन इन इंडियन सोसाइटी . जयपुर: पॉइंटर पब्लिशर्स , पेज – 162, 165.
3. चोपड़ा, पी . ए . एन . पुरी , बी . पी . एन ., दास एम . एन . (2005). “ भारत का सामाजिक , सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास ” | दिल्ली: मैकमिलन इंडिया लिमिटेड पृष्ठ – 259, 265.
4. शर्मा, गोपीनाथ (2008). “ राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास | ” जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी | पृष्ठ – 119 , 120
5. शर्मा, कालूराम। (2004)." उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक जीवन | " " जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी , पृष्ठ – 125 , 129
6. जैन, हुकुमचंद और माली, नारायण। (2011). " राजस्थान का इतिहास और संस्कृति: विश्वकोश" | " जयपुर: जैन प्रकाशन मंदिर | पृष्ठ – 548, 555
7. अंसारी, एम ए (2010) " महिला और मानव अधिकार जयपुर: ज्योति प्रकाशन |
8. कैथवास, सावित्री (2009)" ग्रामीण पंचायती राज के विशेष संदर्भ: अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं रु नए पंचायती राज के विशेष संदर्भ में। 25, पृष्ठ – 30, 32, 43
9. शर्मा, प्रज्ञा (2011) " महिला विकास और सशक्तिकरण" | "जयपुर: अविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स |